परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

प्रतिवेदन

शासनादेश संख्या 429/111(2)/16–58 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2016 द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य 6.00 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 83.76 लाख की (प्रथम चरण–यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग वास्तविक सर्वे के अनुसार लम्बाई 6.00 किमी0 आती है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

प्रस्तावित सड़क संरेखन डंगोली–स्याली–छटिया–हरिनगरी–कुलाऊँ–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 2.00 के है0मी0 8–10 से प्रारम्भ होता है एवं 6.00 किमी0 की लम्बाई के पश्चात मनाखेत से आगे जंगल के मध्य में समाप्त होता है। जनपद का अधिकांश क्षेत्र दूरस्थ होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्राम स्याली, इड़िया एवं मनाखेत की जनता को जिला मुख्यालय बागेश्वर एवं विकास खण्ड गरूड़ आदि जगहों जाने आने में सुविधा होगी। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9.00 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 1.763 है0 वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के कुल 349 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5–6 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:20000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण डंगोली–स्याली–छटिया–हरिनगरी–कुलाऊँ–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 2.00 के है0मी0 8–10 से प्रस्तावित है एवं 6.00 किमी0 की लम्बाई के पश्चात मनाखेत से आगे जंगल के मध्य में समाप्त होता है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में आरक्षित एवं वन भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण

करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं भूस्खलन क्षेत्र होने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 6.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.763 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 349 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर